दिनांक 14 अप्रैल 2020

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ उड़नदस्ता की टीम ने की कार्यवाही , अधिक दाम पर सामग्री बेचने वाले से वसूला 5000 रुपए अर्थदंड

भिलाई नगर/ लॉक डाउन के दौरान तय कीमत से अधिक मूल्य पर सामग्री विक्रय करने वाले दुकानों पर निगरानी रखी जा रही है! आज खाद्य विभाग एवं नगर निगम भिलाई की उड़नदस्ता की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वार्ड क्रमांक 19 शास्त्री नगर में चुन्नू किराना स्टोर द्वारा शक्कर , तेल, दाल एवं आलू इत्यादि सामग्री तय कीमत से अधिक मूल्य पर बेचने पर 5000 रुपए की चालानी कार्यवाही करते हुए अर्थदंड वसूल किया! उड़नदस्ता की टीम ने सुपेला लक्ष्मी नगर बाजार का निरीक्षण किया यहां के बाजार को संजय नगर सुपेला में शिफ्ट किया गया है परंतु कुछ सब्जी दुकान द्वारा वहां पर दुकान लगाया गया था जिससे 1500 रुपए जुर्माना लेकर संजय नगर में जाने की समझाइश दी गई! वार्ड क्रमांक 28 छावनी कुशवाहा किराना स्टोर के सुरेंद्र कुशवाहा द्वारा निर्धारित समय के बाद भी दुकान खुला रखने पर 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया इसी प्रकार रोहित इंटरप्राइजेज हाउसिंग बोर्ड के रोहित सिंह से भी 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया! वार्ड क्रमांक 8 के सिरसा रोड कोहका मुन्ना किराना स्टोर के संचालक मुन्ना साहू के दुकान से भारी मात्रा में एक्सपायरी सामग्री जैसे बिस्किट आदि प्राप्त होने पर 20000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया साथ ही इनकी दुकान से प्रतिबंधित प्लास्टिक भी जप्त किया गया!

जनसंपर्क अधिकारी